



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट— थाना कोतवाली शहर**      **दिनांक 06.01.2025**

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1121/24 धारा 305(1)/331(4)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी 840 रुपये नगदी सहित किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 04.12.2024 को वादी वादी श्री भीम सिंह पुत्र श्री कलीराम निवासी इन्द्रलोक कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर व सेफ का ताला तोड़कर करीब 1800 रुपये चोरी कर लिये गये। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1121/24 धारा 305(1)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त शुभम पुत्र विरेन्द्र निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



**कार्यवाही—**

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शुभम पुत्र विरेन्द्र निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 840 रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—**

1. शुभम पुत्र विरेन्द्र निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ उपरोक्त —**

1. मु0अ0सं0 300/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 1121/2024 धारा 305(क)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना को0शहर बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—**

- 1—उ0नि0 प्रशान्त सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2—आरक्षी 54 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3—आरक्षी 2479 निखिल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट— थाना नगीना

दिनांक 06.01.2025

थाना नगीना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 75 / 24 धारा 354 / 452 / 323 / 504 / 506  
भादवि में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 06.03.2024 को वादिया ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.साहिल 2.गुलजार पुत्रगण सलीम 3.शुएब पुत्र शरीफ अहमद निवासीगण मौ0 साहूवान मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया के साथ छेडछाड की व अभियुक्त गुलजार ने वादिया के ऊपर धारदार हथियार से वार किया तथा अभियुक्तगण ने वादिया व वादिया की बहन के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 75 / 24 धारा 354 / 452 / 323 / 504 / 506 भादवि पंजीकृत किया गया।



**कार्यवाही—**

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.साहिल 2.गुलजार पुत्रगण सलीम पुत्रगण सलीम अहमद 3.शुएब पुत्र शरीफ अहमद निवासीगण मौ0 साहूवान मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—**

- 1.साहिल पुत्र सलीम निवासी मौ0 साहूवान मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना बिजनौर
- 2.गुलजार पुत्र सलीम निवासी मौ0 साहूवान मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना बिजनौर
- 3.शुएब पुत्र शरीफ अहमद निवासी मौ0 साहूवान मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—**

- 1—उ0नि0 सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2—आरक्षी 1056 अंकित सौलनिया थाना नगीना जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना धामपुर

दिनांक 06.01.2025

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 04/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 05.01.2025 को वादी गुरमीत पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 04/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.सौरभ कुमार पुत्र हेमराज सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.पुनीत शर्मा पुत्र ऋषिपाल शर्मा निवासी ग्राम सलारपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।



**कार्यवाही-**

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.सौरभ कुमार पुत्र हेमराज सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.पुनीत शर्मा पुत्र ऋषिपाल शर्मा निवासी ग्राम सलारपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये मोबाइल फोन रेडमी कम्पनी बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (यूके 12 बी 7191) को 207 एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

- 1.सौरभ कुमार पुत्र हेमराज सिंह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.पुनीत शर्मा पुत्र ऋषिपाल शर्मा निवासी ग्राम सलारपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

**बरामदगी का विवरण-**

- 1.एक मोबाइल फोन रेडमी कम्पनी
- 2.घटना में प्रयुक्त अदद मोटर साइकिल (यूके 12 बी 7191)

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ उपरोक्त -**

1. मु0अ0सं0 456/2023 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 189/2024 धारा 303(3)/317(2) बीएनएस थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
- 3.मु0अ0सं0 215/2024 धारा 317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4. मु0अ0सं0 04 / 2025 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री गोपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2-मुख्य आरक्षी 517 कपिल आर्य थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3-आरक्षी 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 06.01.2025

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 521/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 4/10 वन अधि0 में  
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.10.2024 को वादी रियाज आलम पुत्र हफीजउल्ला निवासी मौ0 मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी का बाग सीतला तालाब के निकट चांदपुर मे स्थित है । दिनांक 30.09.2024 को शाम के करीब 07.00 बजे वादी अपने भाई के साथ बाग में पहुंचा तो देखा कि 1.मौ0 आदिल पुत्र मौ0 शाकिर निवासी मौ0 मुफ्तीसराय थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.सलमान पुत्र सरफराज 3.दानिश पुत्र जमील 4.बिजेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासीगण मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के बाग से एक हरा आम का पेड चोरी से काटा जा रहा था । वादी के विरोध करने पर मौ0 आदिल व सलमान वहां से चले गये तथा तथा दानिश व बिजेन्द्र को वादी ने लकड़ी काटने के आरे सहित पकड लिया । उपरोक्त अभियुक्तों ने पेड को काटकर जमीन पर गिरा दिया था । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 521/2024 धारा 303(2) बीएनएस व धारा 4/10 भारतीय वन अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.दानिश पुत्र जमील 2.बिजेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासीगण मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

### कार्यवाही –

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 आदिल पुत्र मौ0 शाकिर निवासी मौ0 मुफ्तीसराय थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

### नाम पता अभियुक्त –

मौ0 आदिल पुत्र मौ0 शाकिर निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



### अभियुक्त मौ० आदिल का अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 667/2016 धारा 135 भारतीय विद्युत अधि० 2003 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 683/2017 धारा 153 बी भादवि० थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 714/2018 धारा 135 भारतीय विद्युत अधि० 2003 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 488/2019 धारा 135 भारतीय विद्युत अधि० 2003 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु०अ०सं० 575/2019 धारा 135 भारतीय विद्युत अधि० 2003 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. मु०अ०सं० 521/2024 धारा 303(2) बीएनएस व धारा 4/10 वन अधि० थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. कां० 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां० 810 मोनू कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 06.01.2025

**थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 181/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.09.2024 को वादी श्री शेर सिंह पुत्र कलवा सिंह निवासी ग्राम नगला बुद्धवा उर्फ नशीरदीवाला थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 13/14.09.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से एक भैंस तथा एक कटिया एवं वादी के भाई श्रीपाल सिंह की कटिया को चोरी कर ली गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 181/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये 05 अन्य अभियुक्तगण 1.ब्रिजेश कुमार 2.शादाब उर्फ लल्लन 3.भूरा उर्फ इकबाल कुरैशी 4.अनीश कुरैशी 5.रिहान को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।



### कार्यवाही –

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त शानू उर्फ शाने आलम पुत्र नवीजान निवासी मौ0 लल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये 05 अन्य अभियुक्तगण 1.ब्रिजेश कुमार 2.शादाब उर्फ लल्लन 3.भूरा उर्फ इकबाल कुरैशी 4.अनीश कुरैशी 5.रिहान को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

शानू उर्फ शाने आलम पुत्र नवीजान निवासी मौ0 लल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

### अभियुक्त शानू उर्फ शाने आलम का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 169/24 धारा 380/411/457/509(ख) भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नहतौर बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 181/24 धारा 305/317(2)/331(4) बी0एन0एस0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शेरकोट बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.कां0 979 सचिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1731 गजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 06.01.2025

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को 170 ग्राम चरस के साथ किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 05.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल सैनी पुत्र रामप्रसाद निवासी मौहल्ला जाटान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को 170 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act) पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कमल सैनी पुत्र रामप्रसाद निवासी मौहल्ला जाटान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 0611/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 0781/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 0011/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुशील कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
2. कां0 1974 अमन सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
3. कां0 1041 मैमपाल सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर